

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक : एफ 11 (2)/मो./RRS-MIS/आईसीडीएस/2017 137296-426 जयपुर दिनांक 26.7.18

उपनिदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग,

समस्त। (चूरु एवं श्रीगंगानगर को छोड़ कर)

विषय:- आंगनबाडी केन्द्रों की मासिक रिपोर्ट दिये गये लिंक में उपलब्ध प्रारूप में
माह की 10 तारीख तक फिडिंग करने के संदर्भ में।

प्रसंग:- निदेशालय का पत्रांक 114091-124 दिनांक 21.06.2018

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा समस्त उप निदेशकों को **Google Sheet** पर दिये गये लिंक में उपलब्ध प्रारूप में आंगनबाडी केन्द्रों की मासिक प्रगति की सूचना माह की 10 तारीख तक दर्ज करवाने के निर्देश दिये गये थे, लेकिन उप निदेशक चूरु व श्रीगंगानगर को छोड़ कर शेष जिलों ने दिये गये लिंक में उपलब्ध प्रारूप में आंगनबाडी केन्द्रों की मासिक प्रगति की सूचनाओं का आज दिनांक तक फिडिंग का कार्य नहीं करवाया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों की मासिक सूचनाएँ माह जून 2018 की **Google Sheet** में नीचे दिये गये लिंक में उपलब्ध प्रारूप (प्रपत्र-बी के अनुसार) में दर्ज करना सुनिश्चित करावें।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि जब तक **RRS PORTAL** पर समस्त संचालित आंगनबाडी केन्द्रों से संबंधित सूचनाओं का शत प्रतिशत फिडिंग नहीं हो जाती है तब तक प्रत्येक माह की 10 तारीख तक दिये गये लिंक में उपलब्ध प्रारूप में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों की मासिक सूचनाओं को दर्ज करना सुनिश्चित करावें। अन्यथा निदेशालय से जारी आदेशों की पालना न करना एवं राज कार्य के प्रति लापरवाही व उदासीनता बरतने पर राजस्थान सेवा नियम 17 सी सी के तहत कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nz3L9GJKxjCbOS7Fk0Qn79ZitXP4EG3ERbCZrcfuhnQ/edit?usp=sharing>


निदेशक

समेकित बाल विकास, सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।